न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.40 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 134)	21.08.2024	07.10.2024

सत्यनारायण आ. भंवरलाल जाति माली,
निवासी होली का खूंट, मीरागेट बून्दी, तहसील व जिला बून्दी (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 4101 दिनांक 07.08.2024 ग्राम छत्रपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दर्ज किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 40 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024 / 134 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खाता संख्या 570 की कृषि भूमि खसरा संख्या 3255/1382 (मूल खसरा सं. 1382) रकबा 1.3534 हैक्टेयर वाकेग्राम छत्रपुरा में स्थित है। उक्त भूमि खातेदार भंवरलाल आ. छोटू माली ने मोहनलाल आ. देवा जाति माली निवासी छत्रपुरा से दिनांक 10.04.75 को रजिस्टर्ड बेचाननामें से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, उक्त स्वअर्जित भूमि में से 0.7690 हैक्टेयर भूमि का रजिस्टर्ड दान पत्र खातेदार भवंरलाल जी अपीलांट के पिता ने दिनांक 27.03.2024 को अपीलांट के पक्ष में करके इस भूमि का कब्जा अपीलांट को संभला दिया था तथा अपीलांट ने इस दान को स्वीकार करके दान में प्राप्त भूमि का कब्जा संभाल लिया था, तभी से ही भूमि अपीलांट के कब्जे में है। अपीलांट ने अपने उक्त भूमि अमरूद लगाये हुये है। तहसीलदार बून्दी द्वारा उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र में अंकित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 4101 दिनांक 24.07.2024 को अपीलांट के पक्ष में खोल दिया था, जिसे बिना कानूनी अधिकार के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2024 को निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर विधिक प्रावधानों के अनुसार वैधानिक रूप से नामान्तरकरण खोलने के बाद उस नामान्तरकरण को कानूनन निरस्त नहीं कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त किया गया, जबकि तहसीलदार साहब द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी से हस्ताक्षर करवाने के बजाय नामान्तरकरण को ही निरस्त कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने एवं रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 27.03.2024 के आधार पर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तरकरण की प्रकिया में किसी प्रकार की पूर्ति शेष रह गई हो तो उसकी पूर्ति करवाये जाने हेतु प्रकरण न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात हुआ है कि ग्राम छत्रपुरा के खाता सं. 570 में अंकित आराजी खसरा संख्या 3255/1382 रकबा 1.3534 हैक्टेयर भंवरलाल पुत्र छोटू जाति माली की खातेदारी में दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 27.03.2024 के छायाप्रति

के अनुसार खातेदार भंवरलाल पुत्र छोटू माली द्वारा अपने खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 1382 रकबा 2.1224 हैक्टेयर में से 0.7690 हैक्टेयर भूमि सत्यप्रकाश सैनी पुत्र भंवरलाल माली के पक्ष में दान की गई। उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर दानगृहिता सत्यप्रकाश पुत्र भंवरलाल माली के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण प्रविष्टि का कम संख्या 4101 दिनांक 24.07.2024 दर्ज की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2024 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं हस्ताक्षर पटवारी नहीं होने से नामान्तरकरण अस्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण पर पटवारी की रिपोर्ट :''यह सर्वर सर्टिफिकेट से प्रमाणित है।'' पटवारी का नाम रेखा गोचर दिनांक 05.08.2024 अंकित है। ऐसे में यदि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षर अंकित नहीं किये है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर ही उक्त पूर्ति करवायी जानी चाहिए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों में निर्धारित प्रकिया की पालना करवाये जाने के बजाय नामान्तरकरण को बिना समुचित कारणों के मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया, जो विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर विधिक प्रावधानों की पालना में नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 27.03.2024 के आधार पर नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी